राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकः प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2010 जयपुर, दिनांक 30 जून, 2010

परिपत्र

वित्त विभाग द्वारा जारी मितव्ययता परिपत्र क्रमांक प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2008 दिनांक 16.9.2009 की प्रभावशीलता दिनांक 30.6.2010 को समाप्त हो गई है। अतः राजकीय व्यय के विनियमन के लिये निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है जो 1 जुलाई, 2010 से लागू होंगे।

1– **नवीन सृजित पदों, क्रमोन्नत पदों तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति :–**

(i) नवीन सृजित पदों, क्रमोन्नत पदों तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 (रेप्सर एक्ट) की पालना सुनिश्चित करते हुये वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की पूर्व सहमति से की जा सकेगी।

(ii) मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों एवं विकलांग व्यक्तियों को सेवा नियमों के अनुसार आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

2– **राजकीय यात्रायें :–**

अपरिहार्य कारणों से कार्यक्षेत्र के बाहर राज्य हित में राजकीय वाहन से यात्रा करना आवश्यक होने की स्थिति में संबंधित प्रमुख शासन सचिव /शासन सचिव तथा जिला कलक्टर द्वारा सम्भागीय आयुक्त की पूर्वानुमति प्राप्त करना अपेक्षित होगा। ऐसे अधिकारी, जो वायुयान से यात्रा करने के लिये अधिकृत हैं, राजकीय कार्य हेतु दिल्ली आने जाने के लिये राजकीय वाहन का उपयोग कर सकेंगे।

3– **क्रय का विनियमन एवं वाहन / कम्प्यूटर मय आपरेटर अनुबंध पर लेना :–**

(i) वाहन, एयर कन्डीशनर तथा सैल्यूलर फोन का क्रय वित्त विभाग की पूर्वानुमति से ही किया जावे।

(ii) वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से वाहन किराये पर लेने एवं इसके अनुबंध हेतु वित्त विभाग के पूर्व परिपत्र दिनांक 2.1.2006, 15.5.2006 एवं 17.6.2008 के निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

(iii) विभागों द्वारा कम्प्यूटर मय आपरेटर की सेवायें अनुबंध पर लेने हेतु वित्त विभाग के पूर्व परिपत्र दिनांक 26.7.2008 के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

4– **राजकीय भोज :–**

राज्य हित में अत्यन्त आवश्यक होने पर पूरी सादगी से राजकीय भोज आयोजित किये जायेंगे। शिलान्यास/उद्घाटन समारोह के आयोजन में आवश्यक होने पर सीमित अल्पाहार की ही व्यवस्था की जानी चाहिये। मुख्यमंत्री जी/मुख्य सचिव द्वारा राजकीय भोज आयोजित करने की वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी।

5– **विदेश यात्रा :–**

विदेश यात्रा हेतु वित्त विभाग के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी की पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

8– **राजकीय भवन निर्माण :–**

नवीन भवन निर्माण कार्य, भवन परिवर्धन तथा भवन मरम्मत कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र क्रमांक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.7.2009 के दिशा निर्देश के अन्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जायें।

यह परिपत्र राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स, समस्त विश्वविद्यालयों,अनुदानित संस्थाओं, निकायों एवं राज्य सरकार पर वित्तीय दृष्टि से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निर्भर सभी संस्थाओं पर भी लागू होगा, किन्तु राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य निर्वाचन आयोग, विधान सभा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग पर यह परिपत्र प्रभावी नहीं होगा।

राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स एवं निकायों में रिक्त पदों पर नियुक्ति, पदों के सृजन एवं क्रमोन्नयन के प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य मामलों में यदि अपरिहार्य कारणों से शिथिलता आवश्यक हो तो उस पर संबंधित संचालक मण्डल निर्णय ले सकेगा।

(सी. के. मैथ्यू)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

JPD/Rules- 658

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

No. JPD/CAO (ATR)/AO (Rules)/F.26/D. 1370 Jaipur, dated: 7.7.10

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

(1) The Chief Engineer ( ), JPD________
(2) The Dy. Chief Engineer ( ), JPD, ________
(3) The Chief Personnel Officer, JPD, Jaipur.
(4) The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
(5) The Chief Accounts Officer (IA / FM – W&M), JPD, Jaipur.
(6) The Superintending Engineer (JT), JPD, Jaipur.
(7) The Secretary (Admn.)/Company Secretary, JPD, Jaipur.
(8) The Sr. Accounts Officer ( ), JPD,________
(9) The Sr. Personnel Officer /Personnel Officer ( ), JPD, Jaipur.
(10) The Executive Engineer ( ), JPD, ________.
(11) The Dy. Secretary (GAD), JPD, Jaipur.
(12) The Public Relation Officer, JPD, Jaipur.
(13) The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer ( ), JPD, ____
(14) The Asstt. Secretary /Estt. Officer ( ), JPD, Jaipur.
(15) P.A. to the Chairman and Managing Director, JPD, Jaipur.
(16) P.A. to the Director (Finance/Technical), JPD, Jaipur.

(K.L.Gupta)
Chief Accounts Officer (ATR)